

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)**

-: आदेश :-

कमांक / 413 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 31/05/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सेक्टर 05, देवेन्द्र नगर (थाना देवेन्द्र नगर) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1.	पूर्व में	वासुदेव भवन / पवन निवास / श्री मोहन भट्टर का मकान
2.	पश्चिम में	प्रीतम विला
3.	उत्तर में	डॉ प्रदीप जैन का मकान
5.	दक्षिण में	शहंशाह किराना एवं आटोबैक अस्पताल

A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

1. उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी / आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
2. उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे।
3. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति Incident Commander द्वारा दी जावेगी।
4. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
5. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन/मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर Incident Commander को सूचित किया जावे।
6. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
7. कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
8. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।



B. कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा जाता है :-

1.	कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग	-	श्री राकेश गौड़, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर (8518019594)
2.	लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति	-	श्री विश्वनाथ मुखर्जी उप वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर (9009242222)
3.	कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था	-	श्री विनोद देवांगन, जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर (9407990550)
4.	घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी. पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	-	श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर (9425516797)
5.	उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु Incident Commander	-	श्री मुकेश कुमार कोठारी, डिप्टी कलेक्टर, रायपुर (9993483432)
6.	भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु	-	श्री नसर सिद्दीकी, नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन (9479191007)

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



रायपुर कमांक / 413 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Haudaus

अपर कलेक्टर

जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

रायपुर, दिनांक 31/05/2020

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री मुकेश कुमार कोठारी, डिप्टी कलेक्टर, रायपुर (9993483432) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्री नसर सिद्दीकी, नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन, रायपुर (9479191007), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. श्री राकेश गौड़, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर (8518019594) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



Audau.
 अपर कलेक्टर
 एवं आसिस्टेंट जिला दण्डाधिकारी,
 रायपुर